नीलामी
तिथि 28.02.2013

आगरा जोन के अन्तर्गत

स्थान
एफ–42, सिन्धु भवन, कमला नगर, आगरा

शिक्षण संस्था हेतु नीलामी

योजना का नाम	सेक्टर व भूखण्ड संख्या	स्कूल भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल व0मी0 में	वर्तमान भूमिदर+लीज रेन्ट+कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में प्र0व0मी0)	भूखण्ड का मूल्य
योजना सं0–1 मैनपुरी	सैक्टर–3	नर्सरी / प्राईमरी स्कूल	1286.62 व0मी0	5808 / – प्र0व0मी0	74,72,689 / –

नियम व शर्ते :–

1. उपरोक्त दर प्रदेशन पत्र निर्गत तिथि को सम्बन्धित योजना की आवासीय दर है। अतः किसी प्रकार की लिपिकीय त्रृटि संशोधनीय होगी।
2. उ0प्र0 सरकार के निर्णयानुसार शैक्षणिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
3. उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटन पर प्रभावी होगें।
4. भूखण्ड जहां है जैसे है की स्थिति के अनुसार ऑफर किये जा रहे हैं किसी भूखण्ड के किसी मा0 न्यायालय के आदेशों से कब्जा देने में कठिनाई की स्थिति में अन्यत्र वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन या कब्जा दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा।
5. विभिन्न स्तर के शैक्षिक भूखण्डों का उपयोग संबंधित विभाग (यथा–बेसिक / माध्यमिक / उच्च शिक्षा / सी0बी0एस0ई0 / आई0एस0सी0 बोर्ड आदि) के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।
6. विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त शैक्षिक भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी–वृद्धि हो सकती है जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किन्ही कारणों से यदि परिषद द्वारा भूखण्ड के मूल्य, क्षेत्रफल अथवा शर्तों में परिवर्तन करना पड़ता है तो आवेदक संस्था को मान्य होगा।
7. संस्था को भूमि अन्तरण करने, किराये पर देने अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
8. शिक्षण संस्था के संचालन समिति में आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य होगें तथा उन्हें संचालन समिति की सभी बैठकों में विशेष आमंत्री के रूप में बुलाया जायेगा।
9. संस्था को भूखण्ड आवंटन पर टोकन धनराशि सहित कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा करनी होगी शेष 75 प्रतिशत धनराशि 03 समान त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। शेष नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट **www.upavp.com** तथा संबंधित पंजीकरण पुस्तिका (विनियमावली) से प्राप्त की जा सकती है।
10. पंजीकरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र स्थानीय सम्पत्ति कार्यालय अथवा जोनल कार्यालय से प्राप्त / जमा किये जायेंगे।

आवास आयुक्त

डायल करें 0522-2236803
1800-180-5333 (टोल फ्री)

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सेवोत्तम अनुवर्ती
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
website : http://www.upavp.com E-mail : upavp@sancharnet.in